8-3-16	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है~~/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/स्थानांतरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-3-16 को पेश हो। रीडर
12/3/16	वकील उभय पक्ष उप० हों वास्ते आगामी कार्यवाही पत्रावली दि० 28/4/16 को पेश हो।
28-4-16	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर/अवकाश पर हैं~~/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~स्थानांतरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-5-16 को पेश हो। रीडर
	4 220-23 / 13/6/16
19-5-16	वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली दि० 25-6-16 को कैम्प अहमदपुर में राजस्व लोक अदालत में पेश हो। श्रीमान् S.D.O. सा० भ्रमण पर है। रीडर
25-6-16	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अहमदपुर पर पेश हुई। वादी रामप्रसाद उप० है। वादी रामप्रसाद ने राजीनामा पेश कर उसकी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने, सीमाज्ञान के पश्चात् भूमि प्रतिवादीगण के निकलती है तो प्रतिवादीगण के विरुद्ध पुनः दावा पेश करने की अनुमति देने का निवेदन किया है। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
रामप्रसाद	(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रामप्रसाद पुत्र बीरबल, गुर्जर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. हुकमराज पुत्र प्रहलाद, गुर्जर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. उमराव पुत्र प्रहलाद, गुर्जर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 80/2015

वादी की ओर से वादी रामप्रसाद की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 24.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी अध्यक्षता में एक गिरदावर एवं दो पटवारियो की टीम का गठन कर भूमि ख0न0 49, 89, 283, 286, 287, 318, 319, 320, 321 ग्राम अहमदपुर का सीमाज्ञान करवा देवे। सीमाज्ञान के पश्चात वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है और प्रतिवादीगण कब्जा नही छोडते है तो वादी को नया दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 24.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	